भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 556
दिनांक 23.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेश आवागमन (सुविधा और कल्याण) विधेयक, 2025 पर परामर्श

556. श्रीमती राजाथी:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रस्तावित प्रारूप में छात्रों तथा आश्रितों को विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है;
(ख) क्या विधेयक में पार्थिव शरीर को वापस स्वदेश लाने हेतु स्पष्ट प्रावधान हैं;
(ग) वर्तमान में 'असुरक्षित' श्रेणी में वर्गीकृत भारतीय प्रवासी श्रमिकों का देश-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या मंत्रालय को व्यापक प्रचार-प्रसार और संविधान की अनुसूचित भाषाओं में अनुवाद करने का अनुरोध करने वाला कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) अपने सुझाव प्रस्तुत करने वाले संगठनों का ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा दिए गए सुझावों का सारांश क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क), (ख), (घ) और (ङ) विदेश आवागमन (सुविधा और कल्याण) विधेयक का उद्देश्य रोजगार के लिए सुरक्षित, वैध, व्यवस्थित और नियमित आवागमन तथा विदेश में कार्य से संबंधित उद्देश्यों हेतु प्रवास के लिए एक तंत्र विकसित करके भारत के नागरिकों के लिए वैश्विक कार्यस्थल तक पहुंच से संबंधित कानून में संशोधन करना है। प्रस्तावित विधेयक में परिकल्पित विदेश आवागमन और कल्याण परिषद के कार्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से गठित कल्याण कोष का प्रबंधन शामिल है। यह ध्यान देने योग्य है कि संकट और आपातकाल के समय में प्रवासी भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए सभी भारतीय मिशनों और विदेशों में स्थित केंद्रों में 2009 से भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) की स्थापना की गई है। इस कोष का उपयोग विधिक सहायता, भोजन और आवास सहायता, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल, फंसे हुए भारतीयों को हवाई यात्रा और भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर के पारवहन के लिए किया जाता है। दिनांक 7 अक्टूबर से 24 नवंबर 2025 तक हुए सार्वजनिक परामर्श के दौरान प्राप्त विभिन्न एनजीओ, ट्रेड यूनियनों तथा अन्य समूहों के इनपुट और टिप्पणियों का सार **अनुबंध- क** में दिया गया है। मंत्रालय द्वारा व्यापक प्रसार और अनुसूचित भाषा अनुवाद का अनुरोध करने वाला कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) 2021-2026 से ईसीआर देशों की यात्रा करने वाले ईसीआर श्रेणी के पासपोर्ट के लिए जारी किए गए उत्प्रवास मंजूरी का देशवार विवरण **अनुबंध- ख** में दिया गया है।

अनुबंध- क

वर्ष 2021-2026 तक रोज़गार के उद्देश्य से प्रवास करने वाले भारतीयों की संख्या का देश-वार वार्षिक डाटा

देश/वर्ष	2021	2022	2023	2024	2025	2026	कुल योग
अफगानिस्तान							**0**
बहरीन	6382	10232	7376	8607	6827	1903	**41327**
इंडोनेशिया		3		3	9	15	**30**
इराक	935	1430	1599	2761	1264	162	**8151**
जॉर्डन	2386	2487	1187	3137	2192	1422	**12811**
कुवैत	10158	71432	48212	39862	47087	11455	**228206**
लेबनान	54	282	200	130	36	4	**706**
लीबिया							**0**
मलेशिया	36	12836	15319	5606	3059	2662	**39518**
ओमान	19453	31994	21336	24258	29158	13862	**140061**
कतर	49579	30871	30683	23785	21907	8264	**165089**
सऊदी अरब	32845	178623	200713	167598	136811	42988	**759578**
दक्षिण सूडान		1			73	48	**122**
सूडान				2			**2**
सीरियाई अरब गणराज्य							**0**
थाईलैंड	1	3					**4**
संयुक्त अरब अमीरात	10844	33233	71687	111308	200685	81238	**508995**
यमन							**0**
कुल योग	**132673**	**373427**	**398312**	**387057**	**449108**	**164023**	**1904600**

अनुबंध- ख

दिनांक 7 अक्टूबर से 24 नवंबर 2025 तक विदेश आवागमन (सुविधा और कल्याण) विधेयक, 2026 के मसौदे पर हुए सार्वजनिक परामर्श के बाद एनजीओ, ट्रेड यूनियन और दूसरे समूहों द्वारा भेजे गए इनपुट/टिप्पणियों का संक्षिप्त संकलन

राष्ट्रीय जन आंदोलन गठबंधन (सामाजिक और कार्यकर्ता समूह)	• भारतीय मज़दूरों के अधिकारों की मान्यता: • भारत में भर्ती उद्योग का विनियमन: • गंतव्य देशों में भारतीय कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा के उपाय • हितधारकों के रूप में श्रमिकों को शामिल करना: • सार्वभौमिक बीमा को कानूनी ज़रूरत बनाना • राज्य और गैर-राज्य कारकों के साथ सहयोग • डाटा पारदर्शिता और पहुंच के लिए प्रावधान: • अधिनियम के अंतर्गत गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य क्षमता का पर्याप्त विस्तार • नए अधिनियम के तहत वित्तपोषण गतिविधियाँ
आईओएम, भारत	• मुख्य परिभाषाओं और शब्दावलियों का स्पष्टीकरण। • आवागमन और प्रवासी डाटा संकलन तथा सूचना प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना। • विधेयक की भाषा और संरचना को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रवासी संकल्पना के अनुरूप करना। • अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संरचना में नैतिक भर्ती के सिद्धांतों को शामिल करना। • सुरक्षित, नियमित प्रवासन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रावधानों को मजबूत करना। • प्रवासी प्लेसमेंट एजेंसियों के लिए एक पारदर्शी और मानक-आधारित प्रमाणन संरचना विकसित करना। • तस्करी की रोकथाम तथा पीड़ित सुरक्षा और पुनर्एकीकरण का समर्थन करने के उपायों को बढ़ाना। • बेहतर डाटा और नियामक तंत्र के माध्यम से संस्थागत समन्वय और आप्रवासन शासन में सुधार करना।
हिंद मजदूर सभा (ट्रेड यूनियन)	• भर्ती, लाइसेंस और जवाबदेही • नियोक्ताओं और भर्ती एजेंसियों की सामूहिक ज़िम्मेदारी • रोजगार संविदाएँ • प्रवासी श्रमिक कल्याण कोष • इंडेपेंडेंट ओवरसाईट इंस्पेक्शन इंस्टीट्यूट • शिकायत और कानूनी निवारण तंत्र • डाटा सुरक्षा, कामगारों की रजिस्ट्री का ज़िम्मेदारी से उपयोग और पारदर्शिता • आईएलओ अभिसमय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों (आईएलएस) की पुष्टि • सामाजिक संवाद और त्रिपक्षीयता

	• वेतन, सामाजिक सुरक्षा और धन प्रेषण
स्व-नियोजित महिला संघ, केरल (सेवा)	• कमजोर और अनौपचारिक प्रवासी श्रमिकों के लिए सुरक्षा को मजबूत करना। • विभिन्न सरकारी मंत्रालयों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। • मजबूत श्रम कल्याण और रोजगार मानकों को लागू करना। • पूरे विधेयक में लैंगिक-उत्तरदायी दृष्टिकोण को शामिल करना। • महिला प्रवासी श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपायों और समर्थन तंत्र में सुधार करना। • भर्ती पद्धतियों के विनियमन और निरीक्षण को मजबूत करना। • जवाबदेही और प्रवर्तन तंत्र को बढ़ाना। • वापस लौटने वाले प्रवासियों के लिए वित्तपोषण और पुन: एकीकरण प्रावधानों को स्पष्ट करना। • सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक कल्याण उपायों का विस्तार करना। • बिल को अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के साथ अधिक अनुरूप करना। • सेवा आपूर्ति का विकेंद्रीकरण करना और जमीनी स्तर पर पहुंच में सुधार करना। • आप्रवासन शासन में हितधारकों की भागीदारी बढ़ाना। • व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करना। • प्रवास प्रक्रियाओं में सामाजिक संवाद और श्रमिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना।
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस	• प्रवासी सुरक्षा के लिए एक मजबूत अधिकार-आधारित दृष्टिकोण अपनाना। • विधेयक के अंतर्गत आने वाले श्रमिकों और व्यवसायों के दायरे का विस्तार करना। • प्रवासियों की वापसी और पुन: एकीकरण से संबंधित प्रावधानों में सुधार करना। प्रवासी डाटा संग्रह और सूचना प्रणालियों को मजबूत करना। • प्रवासियों की कमजोर श्रेणियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। • प्रवासी कल्याण के लिए जिम्मेदार संस्थागत अधिकारियों की भूमिका और क्षमता को बढ़ाना। • आप्रवासन शासन में श्रम-संबंधी संस्थानों की भूमिका को स्पष्ट करना। विदेश आवागमन को प्रभावित करने वाली सरकारी शक्तियों की निगरानी को मजबूत करना। • भर्ती एजेंसियों के विनियमन और जवाबदेही को सुदृढ़ करना। रोजगार की स्थितियों और नियोक्ता जवाबदेही के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय पेश करना। • शिकायत निवारण, प्रवर्तन और अपील तंत्र को मजबूत करना। • अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों और श्रमिक सुरक्षा सिद्धांतों के साथ अनुरूपता बढ़ाना।
भारतीय आप्रवासन और विकास संस्थान, केरल	• आश्रितों और नाबालिगों को बेहतर तरीके से कवर करने के लिए विधेयक का विस्तार करना। • अनियमित प्रवास के खिलाफ सुरक्षा का विस्तार करना। • भर्ती मध्यस्थों के विनियमन को मजबूत करना। • शोषणकारी भर्ती पद्धतियों के खिलाफ सुरक्षा उपायों में सुधार करना।

	• विदेश आवागमन और कल्याण परिषद की संरचना और भूमिका को बढ़ाना। • नियोक्ताओं और भर्ती कारकों की जवाबदेही बढ़ाना। • प्रवासी कल्याण के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करना। • प्रवासियों के कौशल विकास और दीर्घकालिक रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना। • अधिक श्रमिक भागीदारी के माध्यम से शिकायत निवारण में सुधार करना। • डाटा गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए प्रवासन डाटा संग्रह को मजबूत करना। • कमजोर प्रवासियों और शोषण के शिकार लोगों के लिए सुरक्षा और सहायता सेवाओं को बढ़ाना।
भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, केरल	• मूल और गंतव्य देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना। • प्रवासी श्रमिकों के रोजगार और कल्याण अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना। • शिकायत निवारण और आपातकालीन सहायता तंत्र में सुधार करना। • प्रत्यावर्तित प्रवासियों के लिए मजबूत कल्याण और सामाजिक सुरक्षा समर्थन स्थापित करना। • भर्ती एजेंसियों के विनियमन और पारदर्शिता को बढ़ाना। • प्रवासी श्रमिकों की गतिविधियों के पंजीकरण और निगरानी को मजबूत करना।
प्रवासी कानूनी प्रकोष्ठ, केरल	• प्रवासी कल्याण और संस्थागत समर्थन संरचना को मजबूत करना। • विदेशी प्राधिकारियों की शक्तियों और समन्वय को बढ़ाना। • शिकायत निवारण और प्रवर्तन तंत्र में सुधार करना। • विदेशी नियोक्ताओं की जवाबदेही बढ़ाना। • मजदूरी से संबंधित शोषण के खिलाफ सुरक्षा को मजबूत करना। • मोबिलिटी रिसोर्स सेंटरों की भूमिका और कामकाज को स्पष्ट करना। • प्रवासी डाटा और सूचना प्रणालियों के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करना। • प्रवासी सुरक्षा के लिए अधिक अधिकार-आधारित ढांचा अपनाना। • बहुभाषी पहुंच और जागरूकता के माध्यम से पहुंच में सुधार करना। • मजबूत निगरानी, समीक्षा और जवाबदेही तंत्र तैयार करना। • प्रत्यावर्तितों और पुन: एकीकरण के लिए समर्थन बढ़ाना। • महिला प्रवासियों के लिए लैंगिक-उत्तरदायी सुरक्षा उपायों को शामिल करना। • आपातकालीन तैयारी और संकट सहायता तंत्र को मजबूत करना।
गति (जीएटीआई) फाउंडेशन	• मौजूदा नियामक ढांचे से प्रस्तावित मॉडल में परिवर्तन का समर्थन करना। • भर्ती एजेंसियों के लिए एक संरचित प्रमाणन प्रणाली पेश करना। • गुणवत्ता आश्वासन और नैतिक भर्ती पद्धतियों को बढ़ावा देना। • भर्ती पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना। • नियामक निरीक्षण और विदेशी आवागमन की सुविधा के संयोजन के साथ एक संतुलित संरचना को प्रोत्साहित

	करना।
भारतीय संबद्ध परिषद	• सभी भर्ती मध्यस्थों को कवर करने के लिए नियामक दायरे का विस्तार करना। • प्रवास डेटा संग्रह और प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करना। • प्रवासी डाटाबेस की व्यापकता में सुधार करना। • प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और बीमा कवरेज को बढ़ाना। • भर्ती एजेंसियों की निगरानी और जवाबदेही को मजबूत करना। • सरकार-से-सरकार प्रवासन व्यवस्था में पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच बढ़ाना।
इंडियन पर्सनल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (आईपीईपीसीआईएल)	• मौजूदा कानूनी संरचना से नए शासन में सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करना। • सरकार-से-सरकार व्यवस्था के कार्यान्वयन से संबंधित चिंताओं का समाधान करना। • नियम बनाने में बेहतर हितधारक परामर्श प्रदान करना। • परामर्श तंत्र में उद्योग प्रतिनिधियों को शामिल करना। • जुर्माने और देनदारियों से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट करना। • डिजिटल आप्रवासन शासन प्रणालियों को मजबूत करना और विस्तार करना।
प्रवासी विधिक प्रकोष्ठ, दिल्ली मुख्यालय	• प्रवासियों के लिए न्याय और कानूनी उपायों तक पहुंच को मजबूत करना। • विदेश में बसे भारतीयों के लिए बीमा और कल्याणकारी कवरेज का विस्तार करना। • प्रवासी सुरक्षा और प्रत्यावर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाना। • विधेयक के तहत लाभार्थियों और कानूनी परिभाषाओं के दायरे को व्यापक करना। • अधिक समावेशी और विकेंद्रीकृत संस्थानों के माध्यम से शासन को मजबूत करना। • भर्ती पद्धतियों के विनियमन और निरीक्षण में सुधार करना। • गोपनीयता सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करते हुए प्रवासी डाटा प्रबंधन को बढ़ाना। • वापस लौटने वाले प्रवासियों के लिए पुन: एकीकरण और समर्थन को मजबूत करना। • शोषण और प्रवासी अधिकारों के उल्लंघन के लिए जवाबदेही बढ़ाना। • शिकायत निवारण, आउटरीच और जागरूकता तंत्र में सुधार करना। • अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक मजबूत अधिकार-आधारित संरचना को बढ़ावा देना। • लैंगिक-संवेदनशील और बाल संरक्षण उपायों में वृद्धि करना। • पारदर्शिता, सार्वजनिक जवाबदेही और हितधारक भागीदारी में वृद्धि।
लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन, चेन्नई	• प्रवासी श्रमिकों के लिए न्यूनतम रोजगार और कल्याणकारी सुरक्षा को मजबूत करना। • भर्ती एजेंसियों के विनियमन और जवाबदेही को बढ़ाना। • प्रवर्तन तंत्र और विदेशी श्रमिक सुरक्षा में सुधार करना। • प्रत्यावर्तित लोगों, पुन: एकीकरण और सामाजिक सुरक्षा के लिए समर्थन को मजबूत करना।

	• कम कुशल, अनौपचारिक और महिला प्रवासी श्रमिकों के लिए सुरक्षा का विस्तार करना। • प्रवास संबंधी सूचना एवं सेवाओं की पारदर्शिता और पहुंच में सुधार करना। • प्रस्थान से पहले अभिविन्यास और कर्मचारी जागरूकता पहलों को मजबूत करना। • प्रवासी पंजीकरण और शिकायत निवारण के लिए डिजिटल प्रणालियों को बढ़ाना।

*****